उत्तरखंड के उच्च न्यायालय में नाबालिक रिट याचिका (एस/बी) सं। 2007 का 270

जितेंद्र बहादुर सिंह

..... याचिकाकर्ता।

बनाम

टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य..... प्रतिवादी।

याचिकाकर्ता के वकील श्री आलोक मेहरा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज तिवारी।श्री U.K. उनियाल, श्री शोभित सहारिया के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

कोरमःमाननीय J.S। खेहर, C.J। माननीय सुधांशु धूलिया, जे.

सुधांशु धूलिया, जे।

1. याचिकाकर्ता टिहरी पनबिजली विकास निगम लिमिटेड (इसके बाद "टीएचडीसी" के रूप में संदर्भित) में ई-5 स्तर का सहायक अभियंता है।याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति ई-1 स्तर पर सहायक अभियंता के रूप में <आईडी1> पर थी।इसके बाद, याचिकाकर्ता को वर्ष 1994 में ई-2 स्तर पर, उसके बाद 1997 में ई-3 स्तर पर और बाद में वर्ष 2000 और 2003 में क्रमशः ई-4 और ई-5 स्तर पर पदोन्नत किया गया।वर्तमान रिट याचिका में उठाया गया विवाद याचिकाकर्ता को ई-5 से ई-6 स्तर पर पदोन्नत करने से संबंधित है।याचिकाकर्ता के अनुसार, ई-5 से ई-6 स्तर तक पदोन्नति करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में एक विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया था।याचिकाकर्ता सहित ई-5 श्रेणी के 58 तकनीकी अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति समिति का सामना करना पड़ा, जिनमें से 53 को ई-6 स्तर पर पदोन्नत किया गया।याचिकाकर्ता के अनुसार, ई-5 स्तर पर काम करने वाले उनके दो कनिष्ठ व्यक्ति हैं जिन्हें ई-6 स्तर पर पदोन्नत किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता की इस पदोन्नति के लिए सिफारिश नहीं की गई है।याचिकाकर्ता निगम की दुर्भावना और मनमानेपन का आरोप लगाता है और

ऐसी शक्तियाँ जो उसे ई-6 स्तर तक बढ़ावा न देने के लिए हों।

2. याचिकाकर्ता द्वारा बनाए गए द्वेष के संबंध में मामला इस प्रकार हैः

याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के से "संपदा अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है और उन शक्तियों द्वारा "कुछ आदेश" पारित करने के लिए उन पर दबाव था, जिनके लिए उन्होंने हार नहीं मानी और इसके परिणामस्वरूप उन्हें टी. एच. डी. सी. में अधिकारियों द्वारा दंडित किया गया है और उन्हें ई-6 स्तर की पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है।

3. टी. एच. डी. सी. ने रिट याचिका के अपने जवाब में कहा है कि ई-5 स्तर से ई-6 स्तर तक पदोन्नति योग्यता सह-श्रेष्ठता पर आधारित है।फीडिंग कैडर में अधिकारियों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है जहां एक उम्मीदवार को कुल 100 अंकों में से अंक दिए जाते हैं।इसमें पिछले अभिलेख के आधार पर रिपोर्ट पर 100 में से 70 अंक शामिल हैं और शेष 30 अंक विभागीय पदोन्नति समिति में उम्मीदवार द्वारा सामना किए गए साक्षात्कार पर आधारित हैं।प्रतिवादी के अनुसार, याचिकाकर्ता का साक्षात्कार अन्य अधिकारियों की

तरह 21.8.2007 पर किया गया था।इसके बाद विभागीय पदोन्नति समिति ने योग्य अधिकारियों द्वारा प्राप्त श्रेणीबद्ध अंकों के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार की थी।श्री J.B. सिंह i.e के रूप में। याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए आवश्यक ग्रेड प्राप्त करने में विफल रहा, उसे 1.4.2007 से ई-6 स्तर पर पदोन्नत नहीं किया गया था।प्रतिवादी ने अन्य अधिकारियों का उदाहरण दिया है, जो याचिकाकर्ता से भी वरिष्ठ हैं और जिन्हें इस पदोन्नति से भी वंचित कर दिया गया है।इस तथ्य से याचिकाकर्ता द्वारा इनकार नहीं किया गया है कि पदोन्नति योग्यता पर आधारित थी।

4. इसलिए यह प्रतिवादी का बचाव है कि याचिकाकर्ता को ई-5 स्तर से ई-6 स्तर पर पदोन्नत नहीं किया जा सका, क्योंकि उसे विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा "उपयुक्त" नहीं पाया गया था।

5. एक संपदा अधिकारी के रूप में निगम अधिकारियों द्वारा उनके अर्ध न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप करने के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधार भी पूरी तरह से निराधार नहीं हैं।हम केवल इस पहलू की भी जांच कर सकते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा इस मुद्दे पर बहुत जोर दिया गया है।संपदा अधिकारी को अधिनियम की खंड 2 (बी) के से परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः

"2. परिभाषाएँ।-

(ख) "संपदा अधिकारी" से खंड 3 के से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी अभिप्रेत है;

परिणामस्वरूप संपदा अधिकारी को अधिनियम की खंड 3 के से नियुक्त किया जाता है। अधिनियम की खंड 3 इस प्रकार हैः

"3. संपदा अधिकारियों की नियुक्ति।केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, -

(क) ऐसे व्यक्तियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं [या किसी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के] या [वैधानिक प्राधिकरण] के समकक्ष पद के अधिकारी हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपत्ति अधिकारी के रूप में नियुक्त करें, जो वह उचित समझेः[बशर्ते कि राज्य सभा के सचिवालय का कोई भी अधिकारी राज्य सभा के सभापति के परामर्श के पश्चात के अलावा इस तरह से नियुक्त नहीं किया जाएगा और लोकसभा के सचिवालय का कोई भी अधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श के पश्चात के अलावा इस तरह से नियुक्त नहीं किया जाएगाःबशर्ते कि किसी वैधानिक प्राधिकरण के अधिकारी को मात्र उस प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक परिसरों के संबंध में एक संपत्ति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा; अग्रेतर] (बी) उन स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करेगा जिनके भीतर, या सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां जिनके संबंध में, संपत्ति अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके से संपत्ति अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अग्रेतर लगाए गए कर्तव्यों का पालन करेंगे।

अधिनियम की धारा 3-ए, 4 और 5 जो निम्नलिखित रूप में भी आवश्यक हैंः

"[3-ए. अस्थायी व्यवसाय से निष्कासन।धारा 4 या धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, यदि संपत्ति अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह मामले खंड परिस्थितियों में समीचीन समझता है, संतुष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक परिसर का अस्थायी कब्जा आवंटित किया गया था, उक्त परिसर के अनधिकृत कब्जे में है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसे व्यक्तियों को तुरंत बेदखल करने का आदेश दे सकता है और इसके पश्चात यदि ऐसे व्यक्ति बेदखली के उक्त आदेश का पालन करने से

इनकार करते हैं या विफल रहते हैं, तो वह उन्हें परिसर से बेदखल कर सकता है और उस पर कब्जा कर सकता है और उस उद्देश्य के लिए, आवश्यक बल का उपयोग कर सकता है।

4. बेदखली के आदेश के विरुद्ध कारण बताने के लिए नोटिस जारी करना।- (1) यदि संपदा अधिकारी की मत है कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक परिसर के अनधिकृत कब्जे में है और उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए, तो संपदा अधिकारी इसके बाद लिखित रूप में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें सभी संबंधित व्यक्तियों से कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि बेदखली का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।

(2) सूचना (क) उन आधारों को निर्दिष्ट करेगी जिनके आधार पर बेदखली का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है; और (ख) सभी संबंधित व्यक्तियों से, अर्थात उन सभी व्यक्तियों से, जो सार्वजनिक परिसरों पर कब्जा कर रहे हैं, या हो सकते हैं, या हित का दावा कर सकते हैं, अपेक्षा करेगी।

(i) प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण, यदि कोई हो, ऐसी तिथि को या उससे पहले, जो सूचना में निर्दिष्ट की गई है, जो उसके जारी होने की तिथि से सात दिन से पहले की तिथि नहीं है, और

(ii) नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर संपत्ति अधिकारी के समक्ष उन साक्ष्य के साथ उपस्थित होना जो वे दिखाए गए कारण के समर्थन में पेश करने का इरादा रखते हैं, और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी, यदि ऐसी सुनवाई वांछित है।

(3) संपदा अधिकारी सूचना को सार्वजनिक परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य विशिष्ट भाग पर चिपकाकर, और ऐसी अन्य विधि से, जो विहित की जाए, जारी कराएगा, जिसके बाद यह समझा जाएगा कि सूचना सभी संबंधित व्यक्तियों को विधिवत दी गई थी।

5. अनधिकृत रहने वालों की बेदखली।

- (1) यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 4 के अधीन सूचना खंड खरीद में दिखाए गए कारण, यदि कोई हो, और [उसके समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत कोई साक्ष्य, यदि कोई हो, धारा 4 खंड उप-धारा (2) के खंड (बी) के से दी गई व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात], संपत्ति अधिकारी का समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जे में हैं, तो संपत्ति अधिकारी उसमें दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए बेदखली का आदेश दे सकता है, जिसमें निर्देश दिया जा सकता है कि सार्वजनिक परिसर को ऐसी तिथि को खाली कर दिया जाएगा, जो आदेश में निर्दिष्ट खंड जाए, उन सभी व्यक्तियों द्वारा जो उस पर कब्जा कर सकते हैं या उसके किसी हिस्से द्वारा, और आदेश खंड एक प्रति बाहरी दरवाजे या उसके किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर चिपकाई जाए।

(2) यदि कोई व्यक्ति बेदखल करने के आदेश का पालन करने से इनकार करता है या करने में विफल रहता है [उक्त आदेश में निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले या उप-धारा (1) के से इसके प्रकाशन की तिथि के पंद्रह दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो] तो संपत्ति अधिकारी या इस संबंध में संपत्ति अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत कोई अन्य अधिकारी [इस प्रकार निर्दिष्ट तिथि के बाद या अवधि की समाप्ति के पश्चात उपरोक्त, जो भी बाद में हो, उस व्यक्ति को बेदखल कर सकता है] और सार्वजनिक परिसरों का कब्जा ले सकता है और उस उद्देश्य के लिए, ऐसे बल का उपयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।

अधिनियम की धारा 5-ए अग्रेतर 5-बी एस्टेट अधिकारी को क्रमशः अनधिकृत निर्माण को हटाने अग्रेतर अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश देने का अधिकार देती है।इसी तरह, खंड 5-सी के से संपदा अधिकारी को अनधिकृत निर्माणों को सील करने की शक्तियां

दी गई हैं।अधिनियम की खंड 6 सम्पति अधिकारी को अनधिकृत कब्जाधारियों द्वारा सार्वजनिक परिसरों में छोड़ी गई सम्पति के निपटान के लिए शक्तियां देती है।अधिनियम की खंड 6 इस प्रकार हैः

"6. अनधिकृत कब्जाधारियों द्वारा सार्वजनिक परिसरों में छोड़ी गई सम्पति का निपटान।(1) जहां किसी व्यक्ति को खंड 5 के से किसी सार्वजनिक परिसर से बेदखल किया गया है, [या जहां खंड 5-बी के से किसी भवन या अन्य काम को ध्वस्त कर दिया गया है], सम्पति अधिकारी, उन व्यक्तियों को चौदह दिन का नोटिस देने के बाद जिनसे सार्वजनिक परिसर का कब्जा ले लिया गया है और इलाके में प्रसारित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित करने के पश्चात ऐसे परिसर में शेष किसी भी सम्पति को हटा सकता है या हटा सकता है या सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटाया जा सकता है।

[1-ए] जहां खंड 5-ए के से किसी भी सार्वजनिक परिसर से कोई सामान, सामग्री, मवेशी या अन्य जानवर को हटा दिया गया है, संपत्ति अधिकारी, ऐसे सामान, सामग्री, मवेशी या अन्य जानवर के मालिक व्यक्तियों को चौदह दिन का नोटिस देने के बाद और इलाके में प्रसारित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित करने के पश्चात सार्वजनिक नीलामी द्वारा ऐसी वस्तुओं, सामग्री, मवेशियों या अन्य जानवरों का निपटान कर सकता है।(1 -ख) उप-धारा (1) और (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूदक) उसमें निर्दिष्ट किसी सूचना को देना या प्रकाशित करना किसी ऐसी सम्पति के संबंध में आवश्यक नहीं होगा जो शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन है, और संपदा अधिकारी, ऐसा साक्ष्य दर्ज करने के पश्चात जो वह उचित समझे, ऐसी सम्पति को बेच सकता है या अन्यथा उस तरीके से निपटाया जा सकता है जो वह उचित समझे।]

(2) जहां कोई सम्पति उप-धारा (1) के से बेची जाती है, वहां उसकी बिक्री की आय, बिक्री के खर्चों में कटौती करने के पश्चात और केंद्र सरकार या [वैधानिक प्राधिकरण] को किराए या नुकसान या लागत अवशिष्ट के कारण देय राशि, यदि कोई हो, का भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जाएगा जो सम्पति अधिकारी को इसके हकदार प्रतीत हों ःबशर्ते कि जहां संपदा अधिकारी उस व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ है जिसे राशि की शेष राशि देय है या उसकी नियुक्ति के बारे में, वह ऐसे विवाद को सक्षम क्षेत्राधिकार के दीवानी न्यायालय को भेज सकता है और उस पर न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।[(2-)क) उप-खंड (2) में निर्दिष्ट "लागत" अभिव्यक्ति में खंड 5-क के से वसूली योग्य हटाने खंड लागत और खंड 5-ख के से वसूली योग्य विध्वंस खंड लागत शामिल होगी।] "6. अधिनियम की उपरोक्त प्रासंगिक धाराओं के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम के से संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियां अपार हैं।एस्टेट अधिकारी एक अभियोजन प्राधिकरण है, एक निष्पादन प्राधिकरण के साथ-साथ एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है, जो सभी एक में शामिल हैं।इस अधिनियम में सार्वजनिक परिसरों से अनधिकृत निवासियों को बेदखल करने के लिए एक आंतरिक तंत्र की परिकल्पना की गई है।ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसे अभिलेख में रखा गया है जो दर्शाता है कि एक संपदा अधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता पर कभी भी निगम के अधिकारियों द्वारा किसी विशेष प्रकार का आदेश पारित करने के लिए दबाव डाला गया था।दूसरी ओर, प्रतिवादी द्वारा संलग्न दस्तावेजों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को मात्र अपने अधिकारियों को अन्य व्यक्तियों को न सौंपने का निर्देश दिया गया था।

इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा जो मामला बनाया गया है कि उसे निगम के अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए दंडित किया गया है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार उसके अर्ध न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप के बराबर है, वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अच्छी तरह से आधारित नहीं है।यह स्पष्ट है कि विभागीय पदोन्नति समिति ने याचिकाकर्ता को ई-6 स्तर पर पदोन्नत नहीं किया है,

क्योंकि वह उपयुक्त नहीं पाया गया था।किसी भी अधिकारी के विरुद्ध द्वेष का कोई विशिष्ट आधार नहीं लगाया गया है, न ही किसी को रिट याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है।इसके अलावा, निगम के अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी दुर्भावना के अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों द्वारा कोई मामला नहीं बनाया गया है।सहायक अभियंता ई-6 स्तर के पद पर पदोन्नति को मंजूरी देने के लिए वर्ष 2006 में गठित विभागीय पदोन्नति समिति में ऐसे विशेषज्ञ शामिल थे जिन्होंने अपने समक्ष उपलब्ध अभिलेख के आधार पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता का फैसला किया है।इस न्यायालय को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं मिलती है और न ही कानून के किसी प्रावधान का कोई उल्लंघन होता है।इसलिए, रिट याचिका पूरी तरह से योग्यता से रहित है और इसे खारिज किया जा सकता है और इसके द्वारा खारिज किया जाता है।आदेश की कोई लागत नहीं ।

(सुधांशु धूलिया, जे.) (J.S। खेहर, C.J.) 22.6.2010 अवनीत